पत्रांक–कारा / बजट–(मं0)–02–05 / 16....131

बिहार सरकार
कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय
गृह विभाग (कारा)।

प्रेषक,

आनन्द किशोर,
महानिरीक्षक,
कारा एवं सुधार सेवाएँ,
बिहार, पटना।

सेवा में,

अधीक्षक,
मंडल कारा, मधुबनी / सीतामढ़ी / गोपालगंज /
सिवान / बिहारशरीफ / छपरा / आरा / नवादा /
जमुई / बेगुसराय / सहरसा / बांका /
हाजीपुर / मधेपुरा / खगड़िया एवं मुंगेर।

पटना, दिनांक 30/3/2017।

विषयः–मुख्य शीर्ष–2056 जेल (गैर योजना), उप मुख्यशीर्ष–00, मांग सं0–22, लघुशीर्ष–101 जेल, उपशीर्ष–0002 जिला जेल के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2016–17 में विभिन्न मंडल काराओं से प्राप्त अधियाचना के आलोक में व्यावसायिक एवं विशेष सेवाएँ मदों की निकासी हेतु ₹80,00,000 (अस्सी लाख रुपये मात्र) का अतिरिक्त आवंटन।

विपत्र कोड–N2056001010002

महाशय,

उपर्युक्त विषयक वित्त विभाग के पत्रांक–ब17 / बी0एस0जी0–18 / 2016–423 / वि. दिनांक–31.03.16 पत्रांक–एम0–4–09 / 2014–4572 / वि0 दिनांक–03.06.2016, ज्ञाप संख्या–2561 / वि0(2) दिनांक–17.04.98 एवं विभिन्न मंडल काराओं से प्राप्त अधियाचना के आलोक में वित्तीय वर्ष 2016–17 हेतु व्यावसायिक एवं विशेष सेवाएँ मदों में व्यय हेतु स्वीकृत्यादेश संख्या–1494 दिनांक–30.03.2017 द्वारा पुनर्विनियोग से प्राप्त राशि को प्रत्येक मंडल कारा के सामने अंकित राशि का अतिरिक्त आवंटन स्वीकृत किया जाता है :–

क्र	मंडल कारा का नाम	कुट सं0 एवं मद	पूर्व का आवंटन	वर्त्तमान आवंटन	कुल आवंटन	शब्दो में
1	मधुबनी	28 01 व्य०एवं विशेष सेवाएँ	6700000	400000	7100000	एकहत्तर लाख रूपये मात्र।
2	सीतामढ़ी	28 01 व्य०एवं विशेष सेवाएँ	7925000	400000	8325000	तीरासी लाख पच्चीस हजार रूपये मात्र।
3	गोपालगंज	28 01 व्य०एवं विशेष सेवाएँ	6300000	400000	6700000	सड़सठ लाख रूपये मात्र।
4	सिवान	28 01–व्य० एवं विशेष सेवाएँ	6500000	500000	7000000	सत्तर लाख रूपये मात्र।
5	बिहारशरीफ	28 01–व्य० एवं विशेष सेवाएँ	6825000	500000	7325000	तीहत्तर लाख पच्चीस हजार रूपये मात्र।
6	छपरा	28 01–व्य० एवं विशेष सेवाएँ	7000000	1200000	8200000	बेरासी लाख रूपये मात्र।
7	आरा	28 01–व्य० एवं विशेष सेवाएँ	7000000	800000	7800000	अठहत्तर लाख रूपये मात्र।
8	नवादा	28 01–व्य०एवं विशेष सेवाएँ	4200000	400000	4600000	छियालीस लाख रूपये मात्र।
9	जमुई	28 01–व्य० एवं विशेष सेवाएँ	5700000	400000	6100000	एकसठ लाख रूपये मात्र।
10	बेगूसराय	28 01–व्य०एवं विशेष सेवाएँ	7200000	500000	7700000	सतहत्तर लाख रूपये मात्र।
11	सहरसा	28 01–व्य० एवं विशेष सेवाएँ	8025000	500000	8525000	बेरासी लाख पच्चीस हजार रूपये मात्र।
12	बांका	28 01–व्य० एवं विशेष सेवाएँ	5400000	400000	5800000	अनठावन लाख रूपये मात्र।
13	हाजीपुर	28 01–व्य० एवं विशेष सेवाएँ	5700000	400000	6100000	एकसठ लाख रूपये मात्र।
14	मधेपुरा	28 01–व्य० एवं विशेष सेवाएँ	5200000	400000	5600000	छप्पन लाख रूपये मात्र।
15	खगड़िया	28 01–व्य० एवं विशेष सेवाएँ	6025000	400000	6425000	चौंसठ लाख पच्चीस हजार रूपये मात्र।
16	मुंगेर	28 01–व्य० एवं विशेष सेवाएँ	6200000	400000	6600000	छियासठ लाख रूपये मात्र।
		कुल योग	**101900000**	**8000000**	**109900000**	**दस करोड़ निन्यानबे लाख रू. मात्र।**

(अस्सी लाख रूपये मात्र)

2. आवंटित राशि के व्यय पर कठोर नियंत्रण रखने, मितव्ययिता बरतने तथा वित्तीय अनुशासन बनाये रखने हेतु वित्त विभाग के ज्ञाप–2561 / वि0(2) दिनांक–17.04.98 की कंडिका 6, 7, 8, 9, 10 एवं 11 का एवं वित्त विभाग के द्वारा समय–समय पर निर्गत अन्य अनुदेशों का अनुपालन अक्षरशः सुनिश्चित किया जाय। इन

चन्द्रदेव राम मो० जमालुद्दीन अंसारी उपसचिव
उप निदेशक (बजट)

कंडिकाओं के अनुपालन में आप स्वयं संतुष्ट हो लें कि स्थापना मदों में केवल स्वीकृत पदों के विरूद्ध कार्यरत कर्मचारियों/पदाधिकारियों के लिए नियमानुसार निकासी की जा रही है। इसमें किसी भी प्रकार की शिथिलता एवं लापरवाही के लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगें।

3. इस राशि का विकलन मुख्य शीर्ष–2056 जेल (गैर योजना), उप मुख्यशीर्ष–00, लघुशीर्ष–101 जेल, उपशीर्ष–0002 जिला जेल के तहत् होगा। काराधीक्षक को निदेश दिया जाता है कि विपत्रों पर मांग संख्या–22 विपत्र कोड–एन–2056001010002 में अंकित कूट संख्या का उल्लेख अवश्य किया जाय, अन्यथा संबंधित कोषागार द्वारा विपत्रों को पारित नहीं किया जायेगा। इसका अनुपालन सख्ती से किया जाय।

4. व्यावसायिक एवं विशेष सेवाएँ मद में आवंटित राशि से सर्वप्रथम कार्यरत भूतपूर्व सैनिकों/कारा निरीक्षणालय से स्वीकृत संख्या के अंतर्गत प्रतिनियुक्त गृह रक्षा वाहिनी एवं माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अंतर्गत आने वाले दैनिक मजदूर को भुगतान किया जाएगा।

5. प्रत्येक मद में आवंटित राशि से अधिक का व्यय किसी भी परिस्थिति में न किया जाय।

6. प्रत्येक माह की 10 (दस) तारीख तक मासिक व्यय की ईकाईवार विवरणी टी0भी नं0 के साथ अनिवार्य रूप से निरीक्षणालय में उपलब्ध करा दिया जाय। व्यय विवरणी में पूर्व माह का व्यय, वर्त्तमान माह का व्यय एवं कुल अद्यतन व्यय का उल्लेख अवश्यक किया जाय। इसमें किसी भी प्रकार की शिथिलता बरतने अथवा विलम्ब होने पर इसे वित्तीय अनियमितता मानते हुए आप पर कार्रवाई भी की जा सकती है।

विश्वासभाजन

30/3

महानिरीक्षक,
कारा एवं सुधार सेवाएँ
बिहार, पटना।

ज्ञापांक– कारा/बजट–(मं0)–02–05/16– 131 पटना, दिनांक 30.3 2017।

प्रतिलिपिः– महालेखाकार, बिहार, वीरचंद पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

30/3

महानिरीक्षक,
कारा एवं सुधार सेवाएँ
बिहार, पटना।

ज्ञापांक– कारा/बजट–(मं0)–02–05/16– 131 पटना, दिनांक 30.3 2017।

प्रतिलिपिः– सभी संबंधित प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी संबंधित जिला पदाधिकारी, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

30/3

महानिरीक्षक,
कारा एवं सुधार सेवाएँ
बिहार, पटना।

ज्ञापांक– कारा/बजट–(मं0)–02–05/16– 131 पटना, दिनांक 30.3 2017।

प्रतिलिपिः– सभी संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

30/3

महानिरीक्षक,
कारा एवं सुधार सेवाएँ
बिहार, पटना।